

मिलावटी धी पकड़ने के लिए खाद्य सुरक्षा व चिकित्सा विभाग ने जयपुर में छापा मारा

बनीपार्क में दुर्गा ट्रेडिंग कंपनी से अमृत व डेयरी शुभम ब्रांड का 1130 लीटर धी जब्त



शहर में मिलावटी धी बेचने वालों पर नकेल कसने के लिए खाद्य सुरक्षा अधिकारियों और चिकित्सा विभाग की टीम ने कई जगह छापेमारी की। बनीपार्क स्थित दुर्गा ट्रेडिंग कंपनी पर नकाराती करते हुए टीम ने अमृत व डेयरी शुभम ब्रांड का मिलावटी 1130 लीटर धी जब्त किया और खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत नमूने लेकर जांच के लिए भिजाए हैं, साथ ही शेष धी को सीज कर दिया गया।

जयपुर (कासं)। जगधानी जयपुर में मिलावटी धी बेचने वालों पर नकेल कसने के लिए खाद्य सुरक्षा अधिकारियों और चिकित्सा विभाग की टीम ने कई जगह छापेमारी की। बनीपार्क स्थित दुर्गा ट्रेडिंग कंपनी पर नकाराती करते हुए टीम ने अमृत व डेयरी शुभम ब्रांड का मिलावटी 1130 लीटर धी जब्त किया और खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत नमूने लेकर जांच के लिए भिजाए हैं, साथ ही शेष धी को सीज कर दिया गया।

विभाग के अध्यक्ष खिंच प्रकाश नकारते और जयपुर सीएमएसओ (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी) डॉ. विजय सिंह फौजदार के नेतृत्व में की रही थी। बताया जा रहा है कि जब्त किया हुआ अमृत व डेयरी शुभम ब्रांड का धी विभिन्न साइज की पैकिंग में रखा गया था, जो कि अमाप्रबन्ध के 350 से 400 रुपये प्रति लीटर के बाव पर बेचा जा रहा था। बताया जा रहा है कि दुर्गा ट्रेडिंग कंपनी ने यह अमृत धी पंजाब तथा डेयरी शुभम अहमदाबाद की कंपं से खरीदा है, इसलिए खाद्य सुरक्षा अधिकारी नरेश कुमार, रतन सिंह गोदारा, नरेंद्र शर्मा, पवन कुमार गुप्ता और सहायक पुरुष राज शमिल रहे।

छोटी चौपड़ पर माहेश्वरी स्टोर से गवाल कृष्ण ब्रांड धी का नमूना लिया

सोडाला में बी.एच.किरणा स्टोर और सौंखिया ट्रेडर्स से गोकुल ब्रांड का 280 लीटर धी सीज किया

जारी किया है। इसी प्रकार छोटी चौपड़ स्थित माहेश्वरी स्टोर से "गवाल कृष्ण" ब्रांड के धी का नमूना लिया बी.एच. किरणा स्टोर सोडाला के बग्ह से "गोकुल" ब्रांड धी का नमूना लेकर 50 लीटर धी सीज किया सीखिया ट्रेडर्स सोडाला के बग्ह से "गोकुल" ब्रांड धी का संभाल लेकर मौके पर रखे 230 लीटर धी का नमूना लेकर मौके पर रखे 10 बजे बड़ा बेटा अनुराग मेडिकल शॉप से घर पहुंचा तो गेट अंदर से चंद्र मिलाकर कीरब 15 मिनट तक आवाज लगाने के बावजूद जब तीनों ने गेट नहीं खोला तो उसने बैठकोंसे को बुलाया। इनके बावजूद रोड पर रहता था आवाज की चीज़ जो चोराहा परिवार की राधिका पर डॉकर्स ने पति-पत्नी को मृत घोषित कर दिया और मर्यांक तीनों ने गेट नहीं खोला तो उसने बैठकोंसे को बुलाया। इनके बावजूद रोड पर रहता था आवाज की चीज़ जो चोराहा परिवार की राधिका पर डॉकर्स ने पति-पत्नी को भी ज़ख रहा था। पुलिस ने एफएसएल टीम की मदद से सबूत जुटाए हैं।

जूस में जहर मिलाकर पीया, पति-पत्नी और बेटे की मौत

जयपुर (कासं)। करधानी इलाके में आर्थिक तंगी और बीमारी से परेशन परिवार के तीन सदस्यों ने साथ मिलावटी धी की हालत में अस्पताल पहुंचया गया, जहाँ डॉकर्स ने दर्पणी को युत बोधित कर दिया, लेकिन उसने भी उचावार के दौरान दम तोड़ दिया।

पुलिस ने बताया कि बालाजी विहार निवारू रोड निवासी नवीन सैन (41), उसकी पत्नी सीमा सैन (39) और वे बड़े बेटे के जूस में जहर मिलाकर पी लिया था। यात्रा की रीत बेटा बेटा सोहन भूमिका ने बदला दिया। अनुराग मेडिकल शॉप से घर पहुंचा तो गेट अंदर से चंद्र मिलाकर कीरब 15 मिनट तक आवाज लगाने के बावजूद जब तीनों ने गेट नहीं खोला तो उसने बैठकोंसे को बुलाया। इनके बावजूद रोड पर रहता था आवाज की चीज़ जो चोराहा परिवार की राधिका पर डॉकर्स ने पति-पत्नी को मृत घोषित कर दिया और मर्यांक तीनों ने गेट नहीं खोला तो उसने बैठकोंसे को बुलाया। इनके बावजूद रोड पर रहता था आवाज की चीज़ जो चोराहा परिवार की राधिका पर डॉकर्स ने पति-पत्नी को भी ज़ख रहा था। पुलिस ने एफएसएल टीम की मदद से सबूत जुटाए हैं।

पार्किंग स्थल के लिए नर्सिंग कर्मियों ने दो घंटे तक कार्य बहिष्कार किया



सर्वाई मानसिंह अस्पताल में पार्किंग स्थल की मांग को लेकर नर्सिंग कर्मचारियों ने मंगलवार सुबह 2 घंटे कार्य बहिष्कार कर विरोध जताया। इसके बाद अधीक्षक डॉ. अचल शर्मा को लेखा

जयपुर (कासं)। राजस्थान हाईकोर्ट ने मायाविक शिक्षा निदेशक और सर्वाई मायाविक डॉईंडों से पूछा है कि याचिकाकर्ता शिक्षक की गणना जब वर्ष 1998 से की गई है तो उसे पुरानी पेंशन योजना का लापत्र बच्चों नहीं दिया जा रहा है। जस्टिस सुदेश बर्लन की एकलपीढ़ी ने यह आदेश हुनुमान प्रेसार्स की याचिका पर प्रारंभिक मुनावई करते हुए दिया।

याचिका में अविवाका धैनेंद्र शर्मा ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता ने वर्ष 1998 की त्रैवय श्रीणी शिक्षक भर्ती में आवेदन किया था, लेकिन मायाला शैक्षणिक योजना का लापत्र बच्चों नहीं दिया जा रहा है। जस्टिस सुदेश बर्लन की एकलपीढ़ी ने यह आदेश हुनुमान प्रेसार्स की याचिका पर प्रारंभिक मुनावई करते हुए दिया।

याचिका में अविवाका धैनेंद्र शर्मा ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता ने वर्ष 1998 की त्रैवय श्रीणी शिक्षक भर्ती में आवेदन किया था, लेकिन मायाला शैक्षणिक योजना का लापत्र बच्चों नहीं दिया जा रहा है। जस्टिस सुदेश बर्लन की एकलपीढ़ी ने यह आदेश हुनुमान प्रेसार्स की याचिका पर प्रारंभिक मुनावई करते हुए दिया।

जयपुर (कासं)। सर्वाई मानसिंह अस्पताल जयपुर में पार्किंग स्थल की जाइ वाली, 2006 में याचिकाकर्ता के शिक्षक पद पर नियुक्ति देने को कहा जारी किया था। याचिका की गणना जब वर्ष 1998 से की गई है तो उसे पुरानी पेंशन योजना का लापत्र बच्चों नहीं दिया जा रहा है। जस्टिस सुदेश बर्लन की एकलपीढ़ी ने यह आदेश हुनुमान प्रेसार्स की याचिका पर प्रारंभिक मुनावई करते हुए दिया।

याचिका में अविवाका धैनेंद्र शर्मा ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता ने वर्ष 1998 की त्रैवय श्रीणी शिक्षक भर्ती में आवेदन किया था, लेकिन मायाला शैक्षणिक योजना का लापत्र बच्चों नहीं दिया जा रहा है। जस्टिस सुदेश बर्लन की एकलपीढ़ी ने यह आदेश हुनुमान प्रेसार्स की याचिका पर प्रारंभिक मुनावई करते हुए दिया।

जयपुर (कासं)। सर्वाई मानसिंह अस्पताल जयपुर में पार्किंग स्थल की जाइ वाली, 2006 में याचिकाकर्ता के शिक्षक पद पर नियुक्ति देने को कहा जारी किया था। याचिका की गणना जब वर्ष 1998 से की गई है तो उसे पुरानी पेंशन योजना का लापत्र बच्चों नहीं दिया जा रहा है। जस्टिस सुदेश बर्लन की एकलपीढ़ी ने यह आदेश हुनुमान प्रेसार्स की याचिका पर प्रारंभिक मुनावई करते हुए दिया।

जयपुर (कासं)। सर्वाई मानसिंह अस्पताल जयपुर में पार्किंग स्थल की जाइ वाली, 2006 में याचिकाकर्ता के शिक्षक पद पर नियुक्ति देने को कहा जारी किया था। याचिका की गणना जब वर्ष 1998 से की गई है तो उसे पुरानी पेंशन योजना का लापत्र बच्चों नहीं दिया जा रहा है। जस्टिस सुदेश बर्लन की एकलपीढ़ी ने यह आदेश हुनुमान प्रेसार्स की याचिका पर प्रारंभिक मुनावई करते हुए दिया।

जयपुर (कासं)। सर्वाई मानसिंह अस्पताल जयपुर में पार्किंग स्थल की जाइ वाली, 2006 में याचिकाकर्ता के शिक्षक पद पर नियुक्ति देने को कहा जारी किया था। याचिका की गणना जब वर्ष 1998 से की गई है तो उसे पुरानी पेंशन योजना का लापत्र बच्चों नहीं दिया जा रहा है। जस्टिस सुदेश बर्लन की एकलपीढ़ी ने यह आदेश हुनुमान प्रेसार्स की याचिका पर प्रारंभिक मुनावई करते हुए दिया।

जयपुर (कासं)। सर्वाई मानसिंह अस्पताल जयपुर में पार्किंग स्थल की जाइ वाली, 2006 में याचिकाकर्ता के शिक्षक पद पर नियुक्ति देने को कहा जारी किया था। याचिका की गणना जब वर्ष 1998 से की गई है तो उसे पुरानी पेंशन योजना का लापत्र बच्चों नहीं दिया जा रहा है। जस्टिस सुदेश बर्लन की एकलपीढ़ी ने यह आदेश हुनुमान प्रेसार्स की याचिका पर प्रारंभिक मुनावई करते हुए दिया।

जयपुर (कासं)। सर्वाई मानसिंह अस्पताल जयपुर में पार्किंग स्थल की जाइ वाली, 2006 में याचिकाकर्ता के शिक्षक पद पर नियुक्ति देने को कहा जारी किया था। याचिका की गणना जब वर्ष 1998 से की गई है तो उसे पुरानी पेंशन योजना का लापत्र बच्चों नहीं दिया जा रहा है। जस्टिस सुदेश बर्लन की एकलपीढ़ी ने यह आदेश हुनुमान प्रेसार्स की याचिका पर प्रारंभिक मुनावई करते हुए दिया।

जयपुर (कासं)। सर्वाई मानसिंह अस्पताल जयपुर में पार्किंग स्थल की जाइ वाली, 2006 में याचिकाकर्ता के शिक्षक पद पर नियुक्ति देने को कहा जारी किया था। याचिका की गणना जब वर्ष 1998 से की गई है तो उसे पुरानी पेंशन योजना का लापत्र बच्चों नहीं दिया जा रहा है। जस्टिस सुदेश बर्लन की एकलपीढ़ी ने यह आदेश हुनुमान